न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/60/2021

1. कौशल्या देवी पत्नी श्री चौथमल जाति खटीक निवासी ग्राम महलां तहसील दूदू जिला जयपुर।
2. चौथमल पुत्र श्री रामकरण जाति खटीक निवासी ग्राम महलां तहसील दूदू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. सोनी देवी पत्नी चौथमल जाति बैरवा निवासी 208, ऑफिसर्स कैम्पस कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर जयपुर शहर

निर्णय दिनांकः 15.07.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 23 रकबा 1.63 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 367 रकबा 0.85 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.93 हैक्टेयर के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादीगण काबिज रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि दिनांक 02.03.1993 में वादीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है तथा विक्रेतागण द्वारा काबिज भाग पर वादीगण ने कब्जा प्राप्त किया, इस प्रकार वादीगण क्रय करने के दिन से विगत 28 वर्षो से लगातार मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 23 के पूर्वी सींवजोड खसरा नंबर 15 है। उक्त पूर्वी सींवजोड पर मौके पर पुरानी मिट्टी की डोल निर्मित है तथा जिस पर कूंचे लगे हुये है तथा तारबंदी की हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि खसरा नंबर 15 का खातेदार काश्तकार है जिसके द्वारा एकतरफा [illegible] वादीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना ही पत्थरगढी के आदेश प्राप्त [illegible] लिये है, एकतरफा में की गई पत्थरगढी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर वादीगण की पूर्वी सीमा की तरफ निर्मित मिट्टी की डोल व कूंचे तारबंदी को हटाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

आमादा है तथा वादीगण को उक्त सींवजोड के काबिज भू–भाग से बेदखल करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने गैर मुन्सुबे की पूर्ति करने के उद्वेश्य से दिनांक 17.06.2021 को कुछ भू–माफिया स्वर्ग जाति के लोगो को साथ लेकर मौके पर आये तथा उक्त व्यक्तियों ने वादीगण को धमकी दी कि हम बारिश होने पर उक्त मिट्टी की डोल को हटा कर तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेगे, उक्त कारणो से वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि की सुरक्षा करना कानूनन आवश्यक हो गया है, चूंकि वादीगण ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यवित है जो कृषि भूमि से अपनी आजीविका चला रहे है। इसके विपरीत प्रतिवादी जो कि भू–माफिया व्यक्तियो से मिली हुई है जिनका मुकाबला करने में वादीगण असमर्थ है इसलिए वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादकारण दिनांक 17.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुछ भू–माफिया स्वर्ण जाति के लोगो को साथ लेकर मौके पर आने तथा उक्त व्यक्तियों ने वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार डिक्री किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपुराउंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 23 रकबा 1.63 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा पर निर्मित मिट्टी की डोल व कूंचे तारबंदी को नही हटाये तथा पूर्वी सीमा पर किसी प्रकार से कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन आदि से करावें।

वादिया ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 47, जमाबंदी सम्वत् 2074–777 खाता संख्या 201, व प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] में [illegible] गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादि[illegible] की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र [illegible] पेश किया जो शामिल चौथमल पुत्र श्री रामकरण, श्रवण पुत्र [illegible] पत्रावली किया जाकर मुख्य परीक्षण करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

बहस वादपत्र पर वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण अपने वाद पत्र में यह कहते हुये आये है कि प्रतिवादी वादीगण के खसरा नंबर 23 की पूर्वी सीमा की तरफ निर्मित मिटटी की डोल व कूंचे, तारबंदी को हटाने पर आमादा तथा वादीगण को उक्त सींवजोड के काबिज भू–भाग से बेदखल करने पर उतारू है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तवेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या नया 47 पुराना 44 के खसरा नंबर 23 वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का रामपुराउंती भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर से जाहिर है कि वादीगण विवादित आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या नया 201 पुराना 200 के खसरा नंबर 15 वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का रामपुराउंती भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर से जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 15 की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात नक्शा प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि वादीगण के खसरा नंबर 23 व प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 15 की भूमि पास–पास है जिसमें वादिया के खसरा नंबर 23 की पूर्वी सीमा प्रतिवादी के खसरा नंबर 15 से लगती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों से यह जाहिर हुआ है कि प्रतिवादी वादीगण के खसरा नंबर 23 की पूर्वी सीमा की तरफ निर्मित मिटटी की डोल व कूंचे, तारबंदी को हटाने पर आमादा तथा वादीगण को उक्त सींवजोड के काबिज भू–भाग से बेदखल करने पर उतारू है। ऐसे में प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण खसरा नंबर 23 रकबा 1.63 हैक्टेयर वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपंराऊंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पूर्वी सीमा पर किसी प्रकार से कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन आदि से करावें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखाया [illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

कौशल्या देवी **बनाम** सोनी देवी वगै.

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/60/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .....✓........ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण खसरा नंबर 23 रकबा 1.63 हैक्टेयर वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपंराऊंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पूर्वी सीमा पर किसी प्रकार से कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन आदि से करावें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .....✓..... मुबलिग .....✓..... बाबत् .....✓.....

.... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .....✓..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....✓..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2022 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत .... (सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

ओहदा ....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner